Important Topic For

65th BPSC Mains/Written Examination-2020

TOPIC:

आधुनिक बिहार का गठन

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

From The Book BIHAR NAMAN PAPER-1

आईन-ए-अकबरी में बिहार सूबे की स्पष्ट भौगोलिक सीमाओं का विवरण तथा अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बिहार में मुगलों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र की स्थापना की थी। मुगल काल में बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था कई चरणों में यात्रा करती है। मुगल वंश के प्रारंभिक शासनकाल में अर्थात् 1526 से 1540 तक बिहार के प्रशासनिक ढाँचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं लाया गया और मुगल साम्राज्य के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी सल्तनतकालीन पतनशील प्रशासनिक व्यवस्था लागू रही। सर्वप्रथम शेरशाह ने 1540 ई. में बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व प्रदान किया। उसने 1541 ई. में पटना को राज्य की राजधानी बनाया और इस सूबे में एक नयी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। शेरशाह द्वारा स्थापित यह प्रशासनिक व्यवस्था 1573 ई. तक लागू रही। 1573 ई. के बाद अकबर ने शेरशाह के प्रशासनिक ढाँचे के आधार पर ही बिहार के प्रशासनिक ढाँचे का पुनर्गठन किया।

अकबर के समय मुगल साम्राज्य कुल 12 सूबों में विभक्त था। बिहार के आर्थिक एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसने बिहार को मुगल साम्राज्य के 12 सूबों में एक स्थान दिया। बिहार सूबा पूर्व (पूरब) में गड्डी (आधुनिक लखीसराय जिला का एक गाँव) से पश्चिम में रोहतास तक 120 कोस और

उत्तर में तिरहुत से दक्षिण में पहाड़ी श्रृंखला तक 110 कोस के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। यह सूबा सात सरकारों तिरहुत, हाजीपुर सारण, चम्पारण, मुंगेर, बिहार और रोहतास में बँटा हुआ था। इन सरकारों में प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके इसलिए सरकारों को परगनों में विभक्त किया गया था। अकबर के समय में बिहार में कुल 199 परगने थे। औरंगजेब के समय सरकारों की संख्या 8 और परगनों की संख्या 245 हो गयी। अकबर के समय ही राजा टोडरमल द्वारा बिहार की भूमि की पैमाइश की गई। सार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुगल काल में बिहार की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अपने सुनहरे दौर में भ्रमण कर रही थी।

सन् 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद (अथवा मुगल साम्राज्य के पतनोपरांत) बिहार, बंगाल के नवाब के हाथों में चला गया। यद्यपि ब्रिटिश शासन के समय भी बिहार, बंगाल का एक महत्वपूर्ण अंग बना रहा। (क्योंकि बिहार से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी।) अठारहवीं शताब्दी वह दौर था। जब बंगाल, पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक-धार्मिक आंदोलन के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा था। इसी के प्रभाव से बंगालियों ने बिहार के प्रशासन और शिक्षा पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। यह बिहारी संस्कृति के संक्रमण का दौर साबित हुआ जहाँ बंगाली संस्कृति बिहार पर हावी हो रही थी। ऐसी स्थिति में बिहारी अपनी निरीहता के प्रति चिन्तित होने लगे और उनके मन में बंगाल से अलग होने की बात घर करती चली गयी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव कुछ बिहारी मुस्लिम और कायस्थ बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा। वे अपने बौद्धिक ज्ञान से, शायद बिहार-बंगाल की संयुक्त स्थिति के भविष्य का अनुमान लगा चुके थे जिसमें बिहार की स्थिति ऋणात्मकता की ओर संकेत कर रही थी। इसलिए उन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करने का विचार प्रकट किया। 7 फरवरी 1876 ई. को मुंगेर से प्रकाशित होने वाले एक पत्र 'मुर्ध-ए-सुलेमान' में पहली बार ''बिहार बिहारियों के लिए'' का नारा बुलन्द किया गया। इस पत्र के द्वारा बिहार में सरकारी नौकरियों में बंगालियों के स्थान पर बिहारियों की नियुक्ति की माँग की गयी। अगले ही वर्ष 22 जनवरी 1877 ई. को उर्दू पत्र कसीद ने बिहार को बंगाल से अलग करने की जोरदार वकालत की।

19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में बिहार के शिक्षित वर्गों द्वारा बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की मांग की जाने लगी। सन् 1889 से 1893 के अपने ब्रिटेन प्रवास और बैरिस्टरी पास कर ब्रिटेन से भारत वापस लौटने के क्रम में हुए कड़वे अनुभवों ने सच्चिदानंद सिन्हा को उद्देलित कर दिया और उन्होंने बिहार को एक स्वतंत्र प्रान्त का दर्जा दिलाने का संकल्प ले लिया। पृथक बिहार प्रान्त आन्दोलन को शुरू करने का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण को दिया जाता है। इन दोनों ने नन्दकिशोर लाल और कृष्णा सहाय के सहयोग से आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए जनवरी 1894 में 'टाइम्स' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। जिसके सम्पादक महेश नारायण बनाए गए।

बिहार टाइम्स की सशक्त अभिव्यक्ति ने बिहार पृथक्करण आन्दोलन की आग में घी का काम किया। इसकी लपटों ने बिहारी हृदय में आत्म सम्मान और स्वाभिमान की वो आँच भरी जिसकी ज्वाला दशकों तक धधकती रही। बिहार के प्रबुद्ध आन्दोलनकर्त्ताओं ने वर्ष 1894 में ही बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को बंगाल से बिहार को अलग करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव दिया, मगर इसे सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। एक दशक बाद 3 दिसम्बर 1903 ई. को गृह विभाग के सचिव हरबर्ट रिजले के हस्ताक्षर से असम के मुख्य आयुक्त विलियम वार्ड का यह प्रस्ताव की प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बंगाल का चटगाँव मण्डल और ढाका तथा मेमन सिंह जिला को असम में मिला दिया जाए, एक आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित हुआ। समकालीन बिहार के कई समाचार पत्रों ने इस प्रस्ताव को अव्यवहारिक कहा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को बंगाल से अलग करने का सुझाव दिया।

By Santosh Kashyap
BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

''The Partision of the lower provinces: An Alternative proposal'', सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा फरवरी 1904 में हिन्दुस्तान रिब्यू के लिए लिखा गया यह लेख वास्तव में बिहार के बंगाल से पृथक्करण पर जोर देता है। महेशनारायण ने भी अगस्त 1905 के हिन्दुस्तान रिब्यू में इसी प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए एक लेख लिखा। इन दोनों लेखों को मिलाकर जनवरी 1906 ई. में एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। जिसका नाम था-'पार्टिशन ऑफ बंगाल और सेपरेशन ऑफ बिहार।'' इस पुस्तक ने बिहारवासियों तथा कलकत्ता में पढ़ रहे बिहारी छात्रों में अपूर्व उत्साह पैदा किया। इसी समय राजेन्द्र प्रसाद कलकत्ता के बिहारी क्लब के सचिव थे। उनके प्रयास से 1906 ई. के दशहरा में बैरिस्टर शर्फुद्दीन के सभापतित्व में पटना कॉलेज (पटना) में पहली बार प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में बिहार के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों की उपस्थिति देखी गई। इस सम्मेलन ने बिहार में एक नये जन जागरण का सूत्रपात किया और सच्चिदानंद सिंहा एवं महेश नारायण का सपना ठोस रूप लेने लगा।

महेश नारायण के संपादन कार्यकाल में ही जुलाई 1906 ई. में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर 'बिहारी' रख दिया गया किन्तु सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका आर्थिक उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया। सन् 1907 में मुहम्मद फखरूद्दीन को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे बिहारी थे। अगस्त 1907 में महेश नारायण की मृत्यु के बाद सच्चिदानंद सिन्हा अकेले तो हो गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें मजहरूल हक अली इमाम, हसन इमाम, फखरूद्दीन आदि बिहारी मुसलमानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। इन्हीं नेताओं के प्रयास से बिहार में 'बिहार प्रादेशिक सम्मेलन' की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में 12 और 13 अप्रैल 1908 को आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में मुहम्मद फखरूद्दीन ने बंगाल से बिहार को अलग करने का प्रस्ताव रखा जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। 1908 ई. में ही सोनपुर मेले में सच्चिदानंद सिन्हा ने मजहरूल हक, हसन इमाम और दीपनारायण सिंह के सहयोग से बिहार के कांग्रेसियों की एक सभा बुलाई। नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम बनाये गये। इसी वर्ष अली इमाम को कलकत्ता उच्च न्यायालय में भारत सरकार के स्थायी विधि परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया गया था (वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले बिहारी थे)। जिसका सच्चिदानंद सिन्हा ने स्वागत किया तथा सरकार से पुनः आग्रह किया कि बिहार को अलग प्रान्त बनाकर बिहारियों के मान-सम्मान की रक्षा की जाए।

मार्ले मिन्टों सुधार अधिनियम के तहत हुए 1910 के चुनाव मे सच्चिदानंद सिन्हा बंगाल विधान परिषद् की ओर से केन्द्रीय विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। इसी चुनाव में मजहरूल हक भी मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए थे। केन्द्रीय विधान परिषद की सदस्यता मिलते ही सच्चिदानंद सिन्हा ने ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों को बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रान्त बनाने की दिशा में प्रभावित करना शुरू किया। इन्हीं के प्रस्ताव पर वायसराय लार्ड मिन्टो ने 1910 में ही अली इमाम को गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में विधि सदस्य के पद पर नियुक्त किया। प्रारंभ में अली इमाम ने इस पद को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा यह समझाने पर कि इस पद को स्वीकार कर लेने से पृथक बिहार राज्य के निर्माण आन्दोलन को बल मिलेगा, वे राजी हो गये। विधि सदस्य बन जाने के बाद भी सर अली इमाम को पृथक बिहार प्रान्त के गठन का पूरा यकीन नहीं था। वे सच्चिदानंद सिन्हा को स्वप्नद्रष्टा मानते थे फिर भी उन्होंने गवर्नर जनरल को यह सलाह दी कि लार्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

From The Book BIHAR NAMAN PAPER-I

विभाजन व्यवहारिक नहीं था इसलिए उसे वापस लेकर इसके स्थान पर बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर उसे स्वंतत्र प्रांत का दर्जा देना अधिक व्यवहारिक होगा। गवर्नर जनरल को अपने विधि सदस्य की बात तर्कसंगत लगी। 12 दिसम्बर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गयी और सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक नये प्रान्त बिहार के गठन की घोषणा की। बिहार को सपरिषद् उपराज्यपाल का लाभ मिला। 1 अप्रैल 1912 को नये बिहार का विधिवत उद्घाटन हुआ और पटना बिहार की राजधानी बनी।

24 वर्षों तक बिहार और उड़ीसा का अस्तित्व एक साथ रहा। इस लम्बे समयकाल के दौरान दोनों प्रान्तों में समान संस्कृति, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ। वास्तव में दोनों प्रान्तों का विकास एक-दूसरे के स्वतंत्र क्रियाकलापों पर आश्रित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बिहार और उड़ीसा को अलग-अलग राज्य बना दिया गया। इस प्रकार सन् 1936 में स्वतंत्र बिहार राज्य का गठन हुआ। 1947 में आजादी के बाद भी एक राज्य के रूप में बिहार की भौगोलिक सीमाएँ ज्यों की त्यों बनी रहीं। इसके बाद 1956 ई. में भाषाई आधार पर बिहार के पुरूलिया जिले का कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। पुनः 15 नवम्बर 2000 को आर्थिक आधार पर बिहार से पृथक झारखण्ड राज्य का गठन किया गया। वर्तमान समय में स्वतंत्र बिहार राज्य 94,163 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है जो 38 जिलों तथा 9 प्रमण्डलों में विभक्त है।

G HOUSE